

अधिसूचना
सं0 12/2016-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,--

(अ) सारणी में,--

- (i) क्रम सं. 22 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) क्रम सं. 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"96क.	2207 20 00	विकृतिकृत एथिल एल्कोहल (एथनोल) उत्पाद-शुल्क्य मालों के विनिर्माण के उपोयग के लिए	2.5%	-	5";

- (iii) क्रम सं. 109 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"109क.	2505 10 11, 2505 10 12,	सिलिका बालू	2.5%	-	-";

2505 10 19				
------------	--	--	--	--

- (iv) क्रम सं. 121क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“121ख.	2701 11 00, 2701 12 00, 2701 19	सभी माल	2.5%	2%	-
121ग.	2701 20, 2702, 2703	सभी माल	2.5%	-	-
121घ.	2704, 2705, 2706	सभी माल	5%	-	-
121ङ	2707	सभी माल	2.5%	-	-
121च	2708	सभी माल	5%	-	-”;

- (v) क्रम सं. 122, 122क, 123, 124, 124क, 125, 126, 126क, 126ख और 126ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (vi) क्रम सं. 151 में, स्तंभ (6) में, प्रविष्टि “5” अंतःस्थापित की जाएगी ;
- (vii) क्रम सं. 152 में, स्तंभ (6) में, प्रविष्टि “5” अंतःस्थापित की जाएगी ;
- (viii) क्रम सं. 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“163क.	2844	मालीविडियम-99 (मो.99) चिकित्सीय उपयोग विखंडन, यदि वह भेषजीय रेडियो के विनिर्माण में उपयोग के लिए रेडियशन एंड आइसोटॉप टेक्नोलाजी बोर्ड द्वारा आयातित	कुछ नहीं	-	5”;

- (ix) क्रम सं. 172 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“172क.	2901, 2902 (2902 43 00, 2902 50 00 के सिवाय)	सभी माल	2.5%	-	-”;

- (x) क्रम सं. 173 में, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, “2903 (2903 10 10, 2903 12 00, 2903 13 00, 2903 22 00 के सिवाय) या 2904” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

- (xi) क्रम सं. 173क, 173ख, 173ग, 173घ, 173ङ और 176 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

- (xii) क्रम सं. 230क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“230ख.	3824 90 32, 8505 11 90	ब्रशलेस प्रत्यक्ष धारा (बीएलडीसी) मोटरों के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात्:- (i) चुंबकीय रेजिन (चुंबकीयकरण से पहले स्ट्रान्टियम फेरिट कंपाउंड/ बनने से पूर्व) (ii) नियोजायमियम चुंबक (चुंबकीयकरण से पहले)	2.5%	-	5”;

(xiii) क्रम सं. 238 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“238क.	3902	संधारित्र श्रेणी की प्लास्टिक फिल्म के विनिर्माण के लिए संधारित्र श्रेणी के पालीप्रापलिन दाने या रेजिन	कुछ नहीं	-	5”;

(xiv) क्रम सं. 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“242	3906 90 90	निम्नलिखित के विनिर्माण में उपयोग के लिए आयातीत सुपर अवशोषक पालीमर (सु.अ.पा.), अर्थात् :- (i) वयस्क डाइपर्स; (ii) वयस्क डाइपर्स से भिन्न, अध्याय शीर्ष 9619 के अंतर्गत आने वाले सभी माल	5% 5%	6% -	5 5”;

(xv) क्रम सं. 254 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“254क	4016 95 90, 4016 99 90, 9503 00 90, 9505 10 00, 9505 90 90	प्राकृतिक रबड़ से बने गुब्बारे से भिन्न, सभी माल	10%	-	-”;

(xvi) क्रम सं. 259 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“259क	4401 21 00, 4401 22 00	निम्नलिखित के विनिर्माण में उपयोग के लिए आयातीत चिप या लकड़ी के चिप और कण, अर्थात्:- i. कागज और पेपरबोर्ड; ii. अखबारी कागज ।	कुछ नहीं	-	5”;

(xvii) क्रम सं. 260 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“260	47	लकड़ी की लुगदी या रेशेदार सेलुलोसी सामग्री से भिन्न (रेयान ग्रेड लकड़ी लुगदी को छोड़कर) जब उनका निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए उपयोग होता है, अर्थात् (i) अखबारी कागज; (ii) कागज और पेपरबोर्ड; (iii) वयस्क डाइपर; (iv) वयस्क डाइपर्स से भिन्न, अध्याय शीर्ष 9619 के अंतर्गत आने वाले सभी माल ।	कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं 2.5%	- - - -	5 और 25 5 5 5”;

(xviii) क्रम सं. 275 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xix) क्रम सं. 284 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“284क.	50, 52, 54, 55 या कोई अन्य अध्याय	कपास और प्रत्यास्थल व्यूतित मुद्रित फेब्रिक	कुछ नहीं	-	28क”;
		कपास और धात्विक सूत रंगे हुए व्यूतित ब्लेंडेड फेब्रिक			
		कपास और स्पेनडेक्स तथा धात्विक ब्लेंडेड फेब्रिक			
		कपास और प्रत्यास्थल मुद्रित फेब्रिक			
		कपास और सिल्क अस्तर फेब्रिक			
		100% लिनन चेम्ब्री व्यूतित/रंगे हुए फेब्रिक			
		100% रंगे हुए रेशे / व्यूतित छपे हुए यार्न रंगे हुए फेब्रिक			
		नायलान और स्पेनडेक्स अस्तर फेब्रिक			
		100% रंगे हुए पालिस्टर मखमल फेब्रिक			
		कपास/नायलान/कढ़ाई क्रोशिया फीता अस्तर फेब्रिक			

(xx) क्रम सं. 290 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं.
और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“290क.	5402 19 90	नायलान 66 फिलामेंट	2.5%	-	-”;
	5402 52 00	पालिस्टर सूत-स्थिर रोधी फिलामेंट			
	5503 11 00	आरामाइड ज्वालारोधी फाइबर			
	5503 11 00	अर्ध- आरामाइड फाइबर			
	5503 19 00	नायलान स्टेपल फाइबर			

	5503 19 00	नायलान स्टेपल फाइबर स्टेटिक रोधी फाइबर			
	5503 30 00	मोडाक्रायलिक फाइबर			
	5504 10 00	ज्वालारोधी विस्कोस रेयान फाइबर			

(xxi) क्रम सं. 305 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“305क.	70	सौर पायित कांच या सौर पायित (परावर्तनरोधी लेपित) सौलर सेल्स/पैनल/माडूल्स के विनिर्माण में उपयोग के लिए कांच	5%	-	5”;

(xxii) क्रम सं. 306 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xxiii) क्रम सं. 318, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि, “8.75%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) क्रम सं. 320, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि, “7.75%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) क्रम सं. 335ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“335ग	7404 00 22	ताम्र स्ट्रैप	2.5%	-	-”;

(xxvi) क्रम सं. 339 और क्रम सं. 356 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xxvii) क्रम सं. 357 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
357क.	84 या कोई अन्य अध्याय	<p>निम्नलिखित के संबंध में अपेक्षित सूची 34 में विनिर्दिष्ट माल :</p> <p>(क) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस निगम या आयल इंडिया लिमिटेड को नामनिर्देशन के आधार पर अनुदत्त पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टे के अधीन की जाने वाली पेट्रोलियम संक्रियाएं,</p> <p>(ख) विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन की जाने वाली पेट्रोलियम संक्रियाएं,</p> <p>(ग) नई खोज अनुज्ञप्ति नीति के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन की जाने वाली पेट्रोलियम संक्रियाएं,</p> <p>(घ) मार्जिनल फील्ड नीति (एमएफपी) के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अन्तर्गत की जाने वाली पेट्रोलियम संक्रियाएं,</p> <p>(ङ) कोयला क्षेत्र मीथेन नीति के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन की जाने वाली कोयला क्षेत्र मीथेन संक्रियाएं ।</p>	कुछ नहीं	कुछ नहीं	40क”;

(xxviii) क्रम सं. 358, 359, 359A और 360 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xxix) क्रम सं. 368, स्तंभ (5) में, प्रविष्टि “कुछ नहीं”, के स्थान पर “ - ” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) क्रम सं. 371ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“371घ.	2818 20 90	उत्प्रेरक परावर्तक के लिए पुताई के विनिर्माण में उपयोग के लिए एल्मुनियम आक्साइड	5%	-	5”;

(xxxii) क्रम सं0 372 के सामने स्तंभ (3) में मद (i) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सूची 17 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह छूट 8517 के अधीन आने वाले निम्नलिखित मालों को उपलब्ध नहीं होगी :-

- क) सॉफ्ट स्विच और वॉयस ऑवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) उपकरण अर्थात् वीओआईपी फोन, मीडिया गेटवेज़, गेटवेज़ कन्ट्रोलर्स और सेशन बार्डर कन्ट्रोलर्स
- ख) ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट उपकरण; एक या अधिक पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट उत्पाद/स्विच (पीओटीपी/पीओटीएस), ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ओटीएन) उत्पाद और आईपी रेडियो
- ग) केरियर इथरनेट स्विच, पैकेट ट्रांसपोर्ट नोड (पीटीएन) उत्पाद, मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग-ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल (एमपीएलएस-टीपी) उत्पाद,
- घ) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (एमआईएमओ) और लॉग टर्म इवोल्यूशन (एलटीइ) उत्पाद ।

(xxxii) क्रम संख्या 372 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"372क	84,85,90	सेमीकंडक्टर वैफर और लिक्विड क्रिस्टल डिसप्ले (एलसीडी) की रचना में उपयोग के लिए मशीनरी, विद्युत उपकरण और अन्य उपस्कर तथा उनके पुर्जे [विख्यात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को छोड़कर]	कुछ नहीं	-	5";
372ख	84,85,90	सेमीकंडक्टर चिप को एकत्रित करने, परीक्षण, चिन्हांकन और पैकेजिंग में उपयोग के लिए मशीनरी, विद्युत उपकरण और अन्य उपस्कर तथा उनके पुर्जे [विख्यात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को छोड़कर]	कुछ नहीं	-	5";

(xxxiii) क्रम सं. 399ख में, स्तंभ (2) में विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात्, "8536 49 00" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी ;

(xxxiv) क्रम सं. 399ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"399घ	8419 19 20	जल उष्मक, औद्योगिक सौर जल उष्मकों से भिन्न	7.5%	-	-";

(xxxv) क्रम सं. 417 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "कुछ नहीं" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) क्रम संख्या 418 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"418क	84 या 90	कृत्रिम वृक्क के प्रयोज्य निर्जीवाणुकृत डाइलाईजर और सूक्ष्म अवरोधक	कुछ नहीं	-	-";

(xxxvii) क्रम संख्या 422 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"422क	8501 (8501 64 70, 8501 64 80 के सिवाय)	सभी माल	7.5%	-	-
422ख	8502 (8502 11 00, 8502 20 10, 8502 40 00 के सिवाय)	सभी माल	7.5%		
422ग	8503 00 10, 8503 00 21 या 8503 00 29	सभी माल	7.5%	-	-
422घ	8504 10 10, 8504 10 20 या 8504 10 90	सभी माल	7.5%	-	-
422ङ	8537	सभी माल	7.5%	-	-
422च	8544 (8544	सभी माल	7.5%	-	-

	42 91, 8544 42 92, 8544 42 93, 8544 42 99, 8544 70 10 या 8544 70 90 के सिवाय)				
422छ	8546	सभी माल	7.5%	-	-
422ज	8547	सभी माल	7.5%	-	-
422झ	9028 90 10, 9030 31 00, 9030 90 10, 9032 89 10, 9032 89 90	सभी माल	7.5%	-	-";

(xxxviii) क्रम सं. 428क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“428ख.	8523	राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र (रा.सु.सं.कें.), हैदराबाद द्वारा आयातित भंडारण मीडिया में विदेशी उपग्रह डाटा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-";

(xxxix) क्रम सं. 431 के सामने, स्तंभ (3) में,-

- (क) मद सं. (i) में “पुर्जे, संघटक और संयोजन” शब्दों के पश्चात् “जिसके अंतर्गत चार्जर या एडेप्टर, बैटरी, तार वाले हैंडसेट और स्पीकर नहीं है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (ख) मद सं. (iii) में “बैटरी चार्जर” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(xi) क्रम सं. 431 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“431क	85 या कोई अन्य अध्याय	(क) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन है, के चार्जर या एडेप्टर के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे ; (ख) ऊपर (क) में वर्णित पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या उप पुर्जे ।	कुछ नहीं	-	5
431ख	85 या कोई अन्य अध्याय	(क) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन है, की बैटरी के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे ; (ख) ऊपर (क) में वर्णित पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या उप पुर्जे ।	कुछ नहीं	-	5
431ग	85 या कोई अध्याय	(क). मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, के तारयुक्त हेडसेट के विनिर्माण के लिए इनपुट या पुर्जे (ख). ऊपर (क) में वर्णित हिस्से पुर्जों के विनिर्माण के लिए इनपुट या उप पुर्जे	कुछ नहीं	-	5
431घ	85 या कोई अध्याय	(क) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, के स्पीकर के विनिर्माण के लिए इनपुट या पुर्जे (ख) ऊपर (क) में वर्णित हिस्से पुर्जों के विनिर्माण के लिए इनपुट या उप पुर्जे	कुछ नहीं	-	5

431ड	85 या कोई अध्याय	क). टैरिफ मद 8517 62 30 के अधीन आने वाले ब्रॉडबैंड मोडम के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और साधित्र ख). ऊपर (क) में वर्णित पुर्जों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं	-	5
431च	85 या कोई अध्याय	क). टैरिफ मद 8517 69 30 के अधीन आने वाले रूटर के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और साधित्र ख). ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं	-	5
431छ	85 या कोई अध्याय	क). टैरिफ मद 8517 69 60 के अधीन आने वाले इंटरनेट के पहुंच के लिए सैट-टॉप बाक्स के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और साधित्र ख). ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं	-	5
431ज	85 या कोई अध्याय	क). टैरिफ मद 8521 90 90 के अधीन आने वाले डिजीटल विडियो रिकॉर्डर (डीवीआर)/नेटवर्क विडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और साधित्र ख). ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं	-	5
431झ	85 या कोई अध्याय	क). टैरिफ मद 8528 71 00 के अधीन आने वाले टेलीविज़न के लिए प्राप्त यंत्र किन्तु विडियो डिसप्ले शामिल करने के लिए परिकल्पित नहीं है, के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और साधित्र ख). ऊपर (क) में वर्णित मदों के	कुछ नहीं	-	5

		विनिर्माण के लिए उप पुर्जे			
431ज	85 या कोई अध्याय	क). टैरिफ मद 8525 80 20 के अधीन आने वाले सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और साधित्र ख). ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं	-	5
431ट	85 या कोई अध्याय	क). टैरिफ मद 8507 60 00 के अधीन आने वाले लिथियम-आइन बैटरी [सैलुलर सहित मोबाइल हैंडसेट की बैटरी को छोड़कर] के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और साधित्र ख). ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं	-	5

(xli) क्रम संख्या 432 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
432	8529	टेलीविजन के विनिर्माण के लिए एलसीडी (तरल क्रिस्टल प्रदर्श (एलसीडी), एलइडी (प्रकाश उत्सर्जन डायोड) या ओएलइडी (जैविक एलइडी)	कुछ नहीं	-	5";

(xliii) क्रम सं. 433 के सामने, स्तंभ (3) में, "1किलोवाट" अंक और शब्द के स्थान पर "1.5किलोवाट" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(xliiii) क्रम सं. 433क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xliv) क्रम सं. 433ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“433ग	कोई अध्याय	ई-रीडर के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्ची सामग्रियां या पुर्जे	5%	-	5”;

(xiv) क्रम सं. 435 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“435क	8609 00 00	प्रशितित आधान	5%	-	-”;

(xlv) क्रम सं. 439 के सामने, स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “-” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) क्रम सं. 440 के सामने,--

(क) स्तंभ 3 में, मद (v) की प्रविष्टि में, “xEV के लिए इंजन (संकर विद्युत यान);” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “-” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) क्रम सं. 441 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ixl) क्रम सं. 448 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“448	88 या कोई अन्य अध्याय	ऐसे कार्यकलापों में लगी हुई इकाईयों के वायुयान के पुर्जे, जांच उपस्कर, अनुरक्षण, मरम्मत या पुनर्कल्पन के लिए औजार और औजार-किट और पुर्जे, किट और रखरखाव के लिए औजार-किट, मरम्मत, या वायुयान का पुनर्कल्पन और पुर्जे जिनमें शीर्ष 8802 के अधीन आने वाला इंजन है ।	कुछ नहीं	-	5 और 73”;

(i) क्रम सं. 448 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“448क	8802 (8802 60 00 के सिवाय)	सभी माल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	73क”;

(ii) क्रम सं. 459 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“459	89 या कोई अन्य अध्याय	किसी पोत मरम्मत इकाई द्वारा सागरगामी पोत के अनुरक्षण के लिए पूंजी माल और उनके हिस्से पूर्ण, कच्ची सामग्रियां, सामग्री हथालन उपस्कर और उपभोज्य । स्पष्टीकरण-- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए : “सागरगामी पोत” में निम्नलिखित शामिल है— (क) लाइनर ; विभिन्न किस्मों के स्थोरा-पोत जिसके अंतर्गत मांस, फल या वैसे ही के परिवहन के लिए प्रशितित पोत शामिल हैं, विशिष्ट मालों के परिवहन के विनिर्दिष्ट पोत (अनाज, कोयला, अयस्क या वैसे ही) ; टैंकर (पेट्रोल, मदिरा, या वैसे ही) ; याट और अन्य पाल पोत ; केबल पोत ; हिम-प्रभंजक ; सभी किस्म की पल्वमान कारखाने (हवेलों के	कुछ नहीं	-	5”;

		<p>प्रसंस्करण, मत्स्य का परिरक्षण या वैसा ही) ; हवेल पकड़ने वाले ट्रालर और अन्य मछली पकड़ने वाले पोत ; जीवन रक्षक नौकाएं ; वैज्ञानिक अनुसंधान पोत ; मौसम पोत ; बोयज के परिवहन या मूरिंग के लिए पोत ; पायलट नौका ; निकर्षण सामग्री या वैस ही के निपटान के लिए होपरबार्ज ;</p> <p>(ख) पण्डुबियों सहित सभी किस्म के युद्ध पोत ; और</p> <p>(ग) टग्स, निष्कर्षक, अग्नि-प्लवमान और कबाड़ पोत ; और</p> <p>(घ) तेल रिग्स, भेदन पोत और जैक-अप रिस् ।</p>			
--	--	---	--	--	--

(ख) सारणी के पश्चात्, परन्तु कमें, खंड (छ) और खंड (ज) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपाबंध में,--

(i) शर्त सं0 28 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

शर्त सं0	शर्त
"28क	<p>यदि,</p> <p>(क) ऐसे माल का आयात निम्नलिखित द्वारा किया जाता है:</p> <p>(i) टेक्सटाइल वस्त्रों के निर्माता ; या</p> <p>(ii) टेक्सटाइल वस्त्रों के सहायक विनिर्माता के साथ जुड़े मर्चेंट निर्यातकर्ता, जिनका उपयोग यथास्थिति सीधे विनिर्माता द्वारा या किसी मर्चेंट निर्यातकर्ता के माध्यम से निर्यात के लिए टेक्सटाइल वस्त्रों के विनिर्माण में किया जाता है यह भी उक्त विनिर्माता या मर्चेंट निर्यातकर्ता परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् या संश्लिष्ट और रियान टेक्सटाइल निर्यात संवर्धन परिषद् में रजिस्ट्रीकृत हैं ;</p>

	<p>(ख) संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी हकदारी प्रमाणपत्र में सहायक विनिर्माता का नाम और साथ ही किसी मर्चेट निर्यात कर्ता द्वारा मालों का निर्यात करने की दशा में मर्चेट निर्यातकर्ता का नाम भी उसमें सम्मिलित होगा ;</p> <p>(ग) आयात किए गए मालों का कुल मूल्य, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात किए गए टेक्सटाइल वस्त्रों के पोतपर्यन्त मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :</p> <p>परन्तु वित्तीय वर्ष 2015-16 के शेष बचे भाग में आयात किए गए मालों का कुल मूल्य, वित्तीय वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निर्यात किए गए टेक्सटाइल परिधानों के पोत पर्यान्त मूल्य के एक प्रतिशत के 1/12 भाग से अधिक नहीं होगा ;</p> <p>(घ) आयातकर्ता, यथास्थिति, परिधान आयात संवर्धन परिषद् या संश्लिष्ट और रियान टेक्सटाइल निर्यात संवर्धन परिषद् से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें ऊपर खंड (ग) में उल्लिखित वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य को प्रमाणित किया गया हो और यह कि आयात किए जाने वाले फेब्रिकों का विनिर्माण भारत में नहीं किया जाता है और साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिसूचना के अधीन पहले से आयात किए गए मालों का मूल्य और मात्रा भी सम्मिलित होगी ।"</p>
--	---

(ii) शर्त सं0 40 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

<p>"40क.</p>	<p>यदि,--</p> <p>(क) मालों का आयात निम्नलिखित द्वारा किया जाता है,</p> <p>(i) तेल और प्राकृतिक गैस निगम और आयल इंडिया लिमिटेड (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है) या अनुज्ञप्तिधारी के किसी उप संविदाकार द्वारा और, यथास्थिति, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर मंजूर की गई पेट्रोलियम खोज संबंधी अनुज्ञप्ति या खनन पट्टों के अधीन आरंभ की जाने वाली पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं के संबंध में प्रत्येक मामले में ; या</p> <p>(ii) कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां, विदेशी कंपनी या कंपनियां या भारतीय कंपनी या कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों का संघ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविदाकार" कहा गया है) या संविदाकार के किसी उप संविदाकार और प्रत्येक मामले में भारत सरकार के साथ किसी संविदा</p>
--------------	--

के अधीन प्रारंभ की जाने वाली पेट्रोलियम से संबंधित संक्रियाओं के संबंध में ; या

(iii) कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां, विदेशी कंपनी या कंपनियां या भारतीय कंपनी या कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों का संघ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविदाकार" कहा गया है) या ऐसी कंपनी या कंपनियों या ऐसे संघ का कोई उप संविदाकार और प्रत्येक मामले में भारत सरकार के साथ, यथास्थिति, नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् हस्ताक्षरित किसी संविदा के अधीन या कोलबेड मीथेन नीति के निबंधनानुसार 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् अथवा मार्जिनल फिल्ड नीति के निबंधनानुसार 14 अक्टूबर, 2015 को या उसके पश्चात् हस्ताक्षरित किसी संविदा के अधीन प्रारंभ की जाने वाली, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं या कोलबेड मीथेन संक्रियाओं के संबंध में ;

(ख) यदि आयातकर्ता,--

(i) कोई अनुज्ञप्तिधारी है तो वह आयात के समय, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रोकार्बन के महानिदेशालय के किसी सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र की आयातित माल, खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं के लिए अपेक्षित हैं और उन्हें उस उपखंड में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तियों के अधीन आयातित किया गया है;

(ii) संविदाकार है वहां वह आयात के समय, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् :--

(1) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रोकार्बन के महानिदेशालय के किसी सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र की आयातित माल, निम्नलिखित के लिए अपेक्षित हैं

(अ) खंड (क) के उपखंड (ii) के मद (अ) में निर्दिष्ट पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं और उनका आयात उस खंड में निर्दिष्ट संविदा के अधीन किया गया है ; या

(आ) खंड (क) के उपखंड (iii) के मद (आ) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं या कोलबेड मीथेन संबंधी संक्रियाओं और

उनका आयात, यथास्थिति, नई खोज अनुज्ञापन नीति या कोलबेड मीथेन नीति या मार्जिनल फील्ड नीति के अधीन हस्ताक्षरित किसी संविदा के अधीन किया गया है ; और

(2) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के बीच या भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों या विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संघ के बीच हुई संविदा की दशा में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि ऐसी विदेशी कंपनी या कंपनियों द्वारा किए गए ऐसे मालों के आयात के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया गया है ;

(ग) और जहां आयातकर्ता कोई उपसंविदाकार है, वहां वह आयात के समय, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् :-

(i) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रोकार्बन के महानिदेशालय के किसी सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र की आयातित माल, निम्नलिखित के लिए अपेक्षित हैं ;

(1) खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं और, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन, उनका आयात उस खंड में निर्दिष्ट संविदा के अधीन किया गया है और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अन्तर्विष्ट है ; या

(2) खंड (क) के उपखंड (ii) की मद (अ) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाएं और उनका आयात उस खंड में निर्दिष्ट संविदा के अधीन किया गया है और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अन्तर्विष्ट है ; या

(3) खंड (क) के उपखंड (iii) की मद (आ) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाएं या कोलबेड मीथेन संबंधी संक्रियाएं और उनका आयात, यथास्थिति, नई खोज अनुज्ञापन नीति या कोलबेड मीथेन नीति या मार्जिनल फील्ड नीति के अधीन हस्ताक्षरित किसी संविदा के अधीन किया गया है और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अन्तर्विष्ट है,

(ii) इस प्रभाव का एक शपथपत्र कि ऐसा उप संविदाकार,

यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी या संविदाकार का संदभावी उप संविदाकार है ;

(iii) यथास्थिति, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी या संविदाकार से ऐसा कोई वचनबंध, जो उसे ऐसे किसी शुल्क, जुर्माने या शास्ति का संदाय करने के लिए आबद्ध बनाता हो, जो उस समय संदेय हो सकेगा, यदि इस अधिसूचना की किसी शर्त का अनुपालन, यथास्थिति, ऐसे उप संविदाकार या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी या संविदाकार द्वारा नहीं किया जाता है, और

(iv) निम्नलिखित की दशा में कोई प्रमाणपत्र

(1) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन के आधार पर जारी की गई, यथास्थिति, कोई पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा, कि यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी की ओर से उपसंविदाकार द्वारा किए गए ऐसे मालों के आयात के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया गया है, या

(2) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के बीच या भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संघ के बीच हुई संविदा की दशा में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि ऐसी विदेशी कंपनी या कंपनियों द्वारा किए गए ऐसे मालों के आयात के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया गया है :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसा उपसंविदाकार कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां है ।

(घ) जहां किसी अनुज्ञप्तिधारी या किसी अनुज्ञप्तिधारी के उपसंविदाकार या किसी संविदाकार या संविदाकार के किसी उपसंविदाकार द्वारा इस प्रकार आयातित मालों को अंतरित करना ईप्सित है, वहां आयातकर्ता, ऐसा अंतरण के समय, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक उपायुक्त को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-

(1) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि उक्त मालों

को अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य उपसंविदाकार या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के किसी उपसंविदाकार या संविदाकार के किसी अन्य उपसंविदाकार या किसी अन्य संविदाकार या ऐसे संविदाकार के किसी अन्य संविदाकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है) के नाम पर अंतरित किया जा सकेगा और यह कि उक्त माल निम्नलिखित के अधीन की जाने वाली पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं के लिए अपेक्षित है,--

- I. खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोलियम खोज या खनन पट्टों, या
- II. खंड (क) के उपखंड (ii) की मद (अ) में निर्दिष्ट किसी संविदा के अधीन की जाने वाली पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाएं, या
- III. खंड (क) के उपखंड (iii) की मद (आ) में निर्दिष्ट किसी संविदा के अधीन की जाने वाली, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाएं या कोल बेड मीथेन संक्रियाएं,

(2) अंतरिती से इस प्रभाव का वचनबंध कि वह इस अधिसूचना की सभी शर्तों का अनुपालन करेगा जिसके अन्तर्गत वह, यदि अधिसूचना की किन्हीं शर्तों का उसके द्वारा वहां अनुपालन नहीं किया जाता है, तो संदेय होने वाले किसी शुल्क, जुर्माने या शास्ति का संदाय करेगा, जहां वह अनुज्ञप्तिधारी/संविदाकार है या जहां ऐसा अंतरिती कोई उप संविदाकार है वहां ऐसे अन्तरिती के अनुज्ञप्तिधारी/संविदाकार द्वारा ऐसा संदाय किया जाएगा ।

(3) कोई प्रमाणपत्र,--

(i) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन के आधार पर जारी की गई कोई पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की दशा में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी की ओर से अंतरिती द्वारा किए गए ऐसे मालों के अंतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया

	<p>गया है,</p> <p>(II) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के बीच या भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संघ के बीच हुई संविदा की दशा में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि, यथास्थिति, ऐसी विदेशी कंपनी या कंपनियों की ओर से अंतरिती द्वारा किए गए ऐसे मालों के अंतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया गया है :</p> <p>परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसा अंतरिती कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां है ।</p>
--	--

(iii) शर्त सं0 41, 43 और 44 का लोप किया जाएगा ;

(iv) शर्त सं0 73 के सामने, शर्तों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“यदि,

अ. सिविल विमानन मंत्रालय के सिविल विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा निम्नलिखित के अनुरक्षण, मरम्मत या पूर्ण मरम्मत के लिए अनुमोदित इकाइयों द्वारा आयातित,--

क) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान ; या

ख) ऐसे वायुयान, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, जिन्हें उड़ान के प्रयोजनों के लिए भारत में लाया जाता है या वे भारत को पार करते हैं या अनुरक्षण, मरम्मत या पूर्ण मरम्मत के प्रयोजन के लिए और जो, यथास्थिति, छह मास के भीतर या ऐसी अवधियों के भीतर, जो डीजीसीए द्वारा विस्तारित की गई हैं, भारत से हटाए जाने के लिए अपेक्षित हैं ।

आ. वायुयान के अनुरक्षण, मरम्मत या पूर्ण मरम्मत के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदित इकाइयां, डीजीसीए द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित वायुयान दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं, उसमें वायुयान कलपुर्जों, परीक्षण उपस्करों, उपकरणों और उपकरण किटों के भाग रूप में ऐसे कलपुर्जों, उपस्कर, उपकरण और उपकरण किटों को उपर्दशित करते हुए ।”

(v) शर्त सं0 73 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

शर्त सं.	शर्तें
73क.	(क) यदि, भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है या भारत में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए आशयित नहीं है, वायुयान के अनुरक्षण, मरम्मत

	<p>या ओवरहॉल के लिए आयात किया जाता है किंतु उसे भारत से छह मास के भीतर हटाया जाना है या जैसा नागर विमानन महानिदेशक द्वारा नागर विमानन मंत्रालय में विस्तारित किया जाए ; और</p> <p>(ख) भारत में ठहरने की अवधि के आरंभ और समाप्ति पर, किन्तु किसी भी परिस्थिति के अधीन ठहरने की अवधि के दौरान नहीं विमान में यात्रियों को लाता-ले जाता है ।</p>
--	---

(vi) शर्त संख्या 79 का लोप किया जाएगा ।

(घ) सूची 13 और 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ङ) सूची 21 में, मद 4,5,7,9,10,11,17 का लोप किया जाएगा ।

(च) सूची 32 में, मद (ङ) में उपमद (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,--

"(ङ) (3) ब्रेल कागज़" ।

(छ) सूची 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

सूची 34

(1) भू-भूकंप सर्वेक्षण उपकरण और साधित्य, अपेक्षित यान जिसके अंतर्गत उपकरण ले जाने वाला यान है, भूकंप सर्वेक्षण यान, भूमंडलीय स्थिति प्रणाली और साधित्र तथा भूकंप कार्य या तटवर्ती अपतट क्रियाकलापों के लिए भू-भौतिकी भू-रसायन सर्वेक्षण के अन्य प्रकार के लिए अपेक्षित अन्य सामग्रियां ।

(2) ड्रिलिंग प्रचालन, स्नबिंग यूनिट, द्रवचालित वर्कओवर यूनिट, स्वउत्थापित वर्कओवर प्लेटफार्म, रिमोट प्रचालित यान (आरओवी) के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के ड्रिलिंग रिग, जैकअप रिग, निमज्जनीय रिग, अर्धनिमज्जनीय रिग, ड्रिल पोत, ड्रिलिंग बार्ग, शॉट-होल ड्रिलिंग रिग, मोबाइल रिग, यहां विभिन्न उपकरण और अन्य ड्रिलिंग उपकरण से युक्त वर्कओवर रिग ।

(3) हैलीकॉप्टर जिसके अंतर्गत समुच्चय/पुर्जे हैं।

(4) पेट्रोलियम प्रचालनों की साहयता के लिए सभी प्रकार के समुद्री यान जिसके अंतर्गत कार्य नौका, बार्ग, क्रू नौका, टग, एंकर हैंडलिंग यान, ले बार्ग और प्रदाय नौका, वाटर मेकर, डीपी प्रणाली और डाइविंग प्रणाली सहित समुद्री पोत उपकरण है ।

(5) निमज्जन, सीमेंटिंग, लॉगिंग, केसिंग मरम्मत, उत्पाद परीक्षण, अनुरूपण और कीचड़ सेवा, प्रयोगशाला उपकरण संबंधी तेल क्षेत्र, जलाशय इंजीनियरिंग, भू-वैज्ञानिक उपकरण, दिशागत ड्रिलिंग, उद्दीपन, कोइल ट्यूबिंग यूनिट, ड्रिल स्टेम टेस्टिंग (डीएसटी), आंकड़ा अर्जन और प्रसंस्करण, ठोस नियंत्रण, मत्स्य ग्रहण (तेल क्षेत्र प्रचालनों या कोयला परत मिथेन प्रचालनों में डाउनहोल पुर्नप्राप्ति से संबंधित), कुआं नियंत्रण, ब्लोआउट निवारण (बीओपी), अविनाशकारी परीक्षण सहित पाइप निरीक्षण, कोरिंग, ग्रेवल पैक, तेल/गैस/कोयला क्षेत्र मीथेन कुआं के लिए कुआं समापन और वर्कओवर जिसके अंतर्गत वायरलाइन और डाउनहोल उपकरण है, जैसे विशिष्ट सेवाओं के लिए सभी प्रकार के उपकरण/यूनिट ।

(6) सभी प्रकार के केसिंग पाइप, ड्रिल पाइप, उत्पादन ट्यूबिंग, पप ज्वाइंट, कनेक्शन, कपलिंग, केली, क्रॉसओवर और स्वेगस्, ड्राइव पाइप ।

(7) सभी प्रकार के ड्रिलिंग बिट्स, नोज़ल, ब्रेकर और संबंधित औजार सहित ।

(8) तेल या गैस के ड्रिलिंग, उत्पादन और परिवहन के लिए अपेक्षित पेट्रोलियम या कोयला क्षेत्र मीथेन प्रचालन, तेल कुआं सीमेंट और सीमेंट योजक में प्रयुक्त संश्लिष्ट उत्पाद सहित सभी प्रकार के तेल क्षेत्र रसायन या कोयला क्षेत्र मीथेन रसायन ।

(9) तेल, गैस या सीबीएम के लिए प्रसंस्करण, उत्पादन और कुआं प्लेटफार्म/संस्थापन और प्लेटफार्म/संस्थापन का भाग गठित कर रहे मर्दों सहित वाटर इंजेक्शन और प्लेटफार्म/संस्थापन के लिए अपेक्षित प्रसंस्करण उपकरण, टर्बाइन, पंप, जनरेटर, कंप्रेसर, प्राइममूवर्स, वाटरमेकर, फिल्टर और फिल्टरिंग उपकरण, टेलीमेट्री, दूरसंचार, टेलीनियंत्रण और अन्य सामग्री जैसे अपेक्षित उपकरण ।

(10) फ्लोलाइन और ट्रंक पाइपलाइन जिसके अंतर्गत वेट कोटिंग और राइपिंग है के लिए लाइन पाइप ।

(11) प्लेटफार्मों के निर्माण/संस्थापन और पाइप लाइन के बिछाने में अपेक्षित डेरिक बार्ग, चलित और स्थायी क्रेन, ट्रेंचर, पाइपले बार्ग, कार्गो बार्ग और इसी प्रकार की अन्य सामग्री ।

(12) एकल बोया मूरिंग प्रणाली, मूरिंग रज्जू, चेन जैसी फिटिंग, जंजीर, कपलिंग मेरीन होस और तेल भंडारण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले तेल टैंकर और संबंध उपकरण, तेल के भंडारण के लिए प्रयुक्त टैंक, संघनित्र, कोयला परत मिथेन, जल, कीचड़, रसायन और संबंधित सामग्री ।

(13) प्रदूषण नियंत्रण, अग्नि निवारण, अग्नि शमन, उत्तर जीविता यान सहित सुरक्षा मद, जीवन राफ्ट, अग्नि और गैस पता करने का उपकरण, जिसके अंतर्गत एच2एस मॉनिटरिंग उपकरण है के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के पूर्ण सज्जित यान और अन्य यूनिट/उपकरण ।

(14) गतिशील और स्किड माउंटेड पाइप बिछाने, पाइप परीक्षण और पाइप निरीक्षण उपकरण ।

(15) सभी प्रकार के वाल्व जिसके अंतर्गत उच्च दाब वाल्व हैं ।

(16) पेट्रोलियम या कोयला परत मिथेन प्रचालन जिसके अंतर्गत सशिल्पट वीएचएफ एरो और वीएचएफ बहु चैनल सेट/वीएचएफ समुद्री बहु चैनल सेट हैं के लिए अपेक्षित संसूचना उपकरण ।

(17) गैर-दिशागत रेडियो बीकन, आंतरिकतःसुरक्षित वॉकी-टॉकी, दिशागत फाइन्डर, ईपीआईआरवी, इैक्ट्रानिक व्यक्तिगत सुरक्षा यंत्र जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक पहुंच नियंत्रण प्रणाली है ।

(18) विशिष्ट ऐन्टीना प्रणाली, सरल टैलेक्स ओवर रेडियो टर्मिनल, चैनल माइक्रोवेव प्रणाली परीक्षण और माप उपकरण ।

(19) एक्स-बैंड रेडार ट्रांसपोन्डर, क्षेत्र निगरानी प्रणाली ।

(20) आम गहरा बिंदु (सीडीपी) केबल, लॉगिंग केबल, कनेक्टर, भू-फोन स्ट्रिंग्स, वेधन उपकरण और विस्फोटक ।

(21) स्रोत और क्रिसमस पेड़, जिसके अंतर्गत वाल्व, चोक, हेड स्पूल, हैंगर और एक्यूटर्स, चिकसन जैसे नमनीय कनेक्शन और उच्च दाब होस, शटडाउन पैनल।

(22) ऐनोड सहित कैथोडिक संरक्षण प्रणाली ।

(23) पेट्रोलियम और कोयला परत मिथेन प्रचालन के लिए अपेक्षित तकनीकी रेखा चित्र, मानचित्र, साहित्य, डाटा टेप प्रचालन और अनुरक्षण मैनुअल ।

(24) इस सूची में विनिर्दिष्ट मालों के चलाने, मरम्मत करने या अनुरक्षण के लिए उप-समुच्चय, औजार, साधित्र, भंडार, फालतू पुर्जे, सामग्री, प्रदाय, उपभोज्य वस्तु ।

[फा.सं0 334/8/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, में द्वारा प्रकाशित की गई थी सा.का.नि. 185(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 और सं. 10/2016-सीमा शुल्क, तारीख 17 फरवरी, 2016 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में द्वारा प्रकाशित की गई थी सा.का.नि. 177(अ) तारीख 17 फरवरी, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।